उत्तरांचल शासन
वित्त अनुभाग–4
संख्या–41 /वि0अनु0–4/2004
देहरादून::दिनांकः 06फरवरी, 2004

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल सरकारी सेवकों हेतु "उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली–1980" के अनुक्रम में "उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली–2003" जिसमें सामूहिक बीमा एवं बचत योजना के कार्यान्वयन हेतु "राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" के सृजन किये जाने का आदेश प्रदान किया गया है। तदनुसार प्रश्नगत निधि की स्थापना जो पूर्व से ही की जा चुकी है, और इस निधि के संचालनार्थ बनाई गई नियमावली की एक प्रति सूचनार्थ संलग्न है।

राधा रतूड़ी
सचिव,वित्त

संख्या–41(1)/वि0अनु0–4/2004,तददिनांक।

प्रतिलिपि (संलग्न की प्रति सहित) निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार, उत्तरांचल।
2– समस्त विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयाध्यक्ष, उत्तरांचल।
3– सचिवालय के समस्त अनुभाग, उत्तरांचल शासन।
4– विधान सभा उत्तरांचल तथा श्री राज्यपाल सचिवालय, उत्तरांचल।
5– निदेशक, एन0आई0सी0 देहरादून को इन्टरनैट पर डालने हेतु।

आज्ञा से,
(टी0एन0सिंह)
अपर सचिव।

उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि
नियमावली, 2003

निधि का नाम

यह निधि "उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि" कहलायेगी।

निधि के प्रभावी होने की तिथि

यह निधि राज्य गठन की तिथि से प्रभावी होगी ।

निधि का प्रशासन

उक्त निधि प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तरांचल शासन द्वारा अथवा उनके द्वारा अधिकृत वित्त विभाग के किसी अधिकारी द्वारा प्रशासित होगी ।

निधि की राशि

इस निधि में सरकारी सेवकों से प्राप्त होने वाला मासिक अभिदान शासन द्वारा दिया जाने वाला मासिक अंशदान तथा जमा धनराशि पर शासन द्वारा देय ब्याज की धनराशि सम्मिलित रहेगी ।

निधि का उद्देश्य

निधि का सृजन सेवाकाल के दौरान मृत राज्य कर्मचारियों के परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना तथा सेवा निवृत्त होने और सेवा से अन्यथा पृथक होने की दशा में सरकारी सेवक द्वारा दिये गये अभिदान में से वसूल खाते में जमा धनराशि का ब्याज सहित भुगतान करना है ।

निधि के लेन–देनों का वर्गीकरण

राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि राज्य सरकार के लोक लेखा के सेक्शन "अल्प बचतें" भविष्य निधियाँ आदि खण्ड(ग) अन्य "लेखे के अधीन" लेखा शीर्षक "8011–बीमा और पेंशन निधियाँ– 105–राज्य सरकारी बीमा निधि" के अन्तर्गत स्थापित की जायेगी । इस निधि के प्राप्ति पक्ष में निम्नलिखित लेखाशीर्षों से धनराशियों का संकलन किया जायेगा :–

(1) "2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–आयोजनेत्तर, 200–अन्य कार्यक्रम–अन्य बीमा योजनाएं–राज्य सरकार कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि को संकलन–अन्तर्लेखा संकलन"

(2) "2235–सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण–आयोजनेत्तर, 200–अन्य सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम –अन्य बीमा योजनाएं– कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना का कार्यान्वयन–सहायक अनुदान/अंशदान/राज्य सहायता"

(3) "2049–ब्याज का भुगतान–आयोजनेत्तर, 03 अल्प बचतों, भविष्य निधियाँ आदि पर ब्याज, 108–पेंशन निधियों पर ब्याज–राज्य सरकार बीमा निधि पर ब्याज कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना पर ब्याज (भारित)"

–2

(2) विभागीय स्तर पर उक्त निधि के दो भाग होंगे– (1) रिस्क खाता तथा (2) बचत खाता । सरकारी सेवकों से प्राप्त होने वाली धनराशि में से एक निर्धारित अंश रिस्क खाते (रिस्क फण्ड) में क्रेडिट होगा और शेष धनराशि बचत खाते में जमा होगी, शासकीय अंशदान की धनराशि विभागीय स्तर पर रिस्क खाते में जमा होगी, और सरकारी सेवकों के अभिदान से रिस्क खाते में जमा धनराशि इस सीमा तक कम करके बचत खाते में तदनुरूप वृद्धि कर दी जायेगी । सेवारत मृत्यु की दशा में मृतक सेवक के परिवार को बीमा धनराशि का भुगतान रिस्क खाते से होगा । सेविंग खाते में जमा धनराशि ब्याज सहित सेवामुक्त/सेवा निवृत्त होने पर सरकारी सेवक को (अथवा सेवारत मृत की दशा में उनके परिवार को) वापस की जायेगी । बचत खाते में ब्याज की धनराशि भी सम्मिलित रहेगी ।

निधि के लेखे का रख–रखाव

सरकारी सेवकों से प्राप्त मासिक अभिदान का प्रारम्भिक लेखा संबंधित विभागाध्यक्षों/ कार्यालयाध्यक्षों द्वारा रखा जायेगा । रिस्क फण्ड तथा बचत फण्ड में भुगतान की जाने वाली धनराशियों तथा इस खाते में जमा रहने वाली धनराशियों का लेखा–जोखा निदेशक, लेखा एवं हकदारी, उत्तरांचल, 23–लक्ष्मी रोड, देहरादून द्वारा रखा जायेगा । निधि के लेखों का समग्र रूप से रख–रखाव महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून द्वारा किया जायेगा ।

(डा० आर०एस० टोलिया)
मुख्य सचिव ।